दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि : 20 सितम्बर, 2013
निर्णीत तिथि : 25 नवम्बर, 2013

आप.अ. 250/2003

जोगिंदर सिंह उर्फ़ मोर .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री राजीव गौड़ 'नसीम', अधिवक्ता।

बनाम

दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अ.लो.अभि.

आप.अ. 327/2003

कुलदीप कुमार उर्फ़ राजू लंगड़ा .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अनुराग जैन, अधिवक्ता।

बनाम

दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अ.लो.अभि

और

<u>आप.अ. 63/2005</u>

सुनील उर्फ़ गांजा .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री सिताब अली चौधरी, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अ.लो.अभि

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग

<u>श्री न्या. एस.पी.गर्ग</u>

1. जोगिंदर सिंह उर्फ मोर (अपीलार्थी-1), कुलदीप कुमार उर्फ राजू लंगड़ा (अ-2) और सुनील उर्फ गंजा (अ-3) ने सत्र मामला संख्या 38/98 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के दिनांकित 01.04.2003 के निर्णय को आक्षेपित किया है, जो प्राथिमिकी संख्या 339/95 पुलिस थाना जनक पुरी से उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत उन्हें भा.दं.सं. की धारा 307/34 और आयुध अधिनियम 25/27 के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांकित 02.04.2003 के आदेश द्वारा, प्रत्येक उन्हें भा.दं.सं. की धारा 307/34 के

तहत पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई; आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के तहत प्रत्येक उन्हें एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा को एक साथ लागू करने का निर्देश दिया गया।

2. अपार्थीगण के विरुद्ध अभिकथन थे कि दिनाँक 08.06.1995 को लगभग 09.30 बजे मंगल बाजार रोड, उत्तम नगर, दिल्ली में शर्मा होटल के पास, उन्होंने सामान्य आशय से जय भगवान पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। जय भगवान को निशाना बनाकर चलाई गई पहली गोली चूक कर नगेंदु को लगी, जो घायल हो गया। उन्होंने फिर से गोली चलाई और गोली शिकायतकर्ता जय भगवान के सीने पर लगी। पुलिस तंत्र हरकत में आया जब दिनाँक 08.06.1995 को रात्री 10 बजे पुलिस चौकी, ईस्ट उत्तम नगर में दैनिक डायरी (डी.डी.) संख्या 36 (प्र.अभि.स.-15/अ) दर्ज की गई, जिस पर पी.सी.आर. से सूचना मिली कि आर्य समाज रोड मंदिर के पीछे गोलीबारी हो रही है। मामले की जांच उप.निरिक्षक आर.डी. यादव को सौंपी गई, जो कॉन्स्टेबल राम कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर गए। घायलों को पहले ही डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया है। उप.निरिक्षक आर.डी.यादव ने पीड़ितों जय भगवान और नागेन्दु के (चिकित्सा विधिक मामला) एम.एल.सी. एकत्र किए और जय

भगवान (प्र.अभि.स.-6/क)का बयान दर्ज करने के पश्चात प्राथिमिकी दर्ज की। मौके पर पाए स्कूटर सं डी.एल.-4 एस.सी. 9623 को जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान, तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अ-1 से अ-3 को गिरफ्तार किया गया और उनके प्रकटीकरण बयानों के अनुसरण में, अ-2 और अ-3 ने देशी पिस्तौल बरामद की। सबूत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) को भेजे गए थे। अश्विनी और संजीव सेठी के आरोप पत्र के साथ-साथ अ-1 से अ-3 को दिनांकित 15.01.1991 के आदेश द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया और राज्य ने आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती नहीं दी। अ-1 से अ-3 पर विधिवत आरोप लगाए गए और उन्हें विचारण के लिए लाया गया । उनके दोषिता को स्पष्ट के लिए, अभियोजन पक्ष ने बाईस गवाहों को परिक्षीत किया। अपने 313 बयानों में, अपीलार्थीगण ने झूठे आरोप लगाए और अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। पक्षकारों के प्रतिविरोधों को सुनने और अभिलेख पर साक्ष्यों के मूल्यांकन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा, पूर्व में उल्लिखित अपराधों के लिए अ-1 से अ-3 को दोषी ठहराया। उन्होंने व्यथित होकर अपील दायर की है।

3. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि विचारण न्यायालय ने अपने सही और उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्यों का मुल्यांकन नही किया। अभि.स.-7

(लेख राज) और अभि.स.-19 (रमेश मेहता) को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में झूठा पेश किया गया, हालांकि वे मौके पर मौजूद नहीं थे। विचारण न्यायालय ने उनके भ्रष्ट विवरण पर भरोसा करके गंभीर गलती की है। उनके पास हितबद्ध गवाह होने की कमी थी और आपराधिक पृष्ठभूमित थे। शिकायतकर्ता जय भगवान स्वयं कई आपराधिक मामलों में शामिल थे और क्षेत्र का दुश्चरित्र (बी.सी.) व्यकित थे। बरामदगी संदिग्ध है। बरामद देशी पिस्तौल अपराध से संबंधित नहीं थी। जय भगवान की चिकित्सकीय जांच करने वाले संबंधित डॉक्टर को यह साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया कि उसको कैसी चोटें आई हैं। जांच भ्रष्ट और अनुचित है। अन्य घायल नगेन्दु को रोकने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल हस्तक्षेप किया जाना है। अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण को दोषी पाए जाने की स्थिति में पहले से ही काटी गई सजा के लिए रिहा करने के लिए वैकल्पिक तर्क अपनाया। निर्णय का समर्थन करने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि यह साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। नगेन्दु की उपस्थिति प्राप्त करने के सभी प्रयासों के बावजूद, उसका पता नहीं लगाया जा सका और पूछताछ नहीं की जा सकी।

4. मैंने पक्षकारों के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख को परीक्षित किया है। घटना रात करीब 9.30 बजे घटित हुई और दैनिक डायरी

(डी.डी.) संख्या 36 (प्र.अभि.स.-15क) पुलिस चौकी पूर्वी उत्तम नगर में रात 10 बजे दर्ज की गई। जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए। उन्होंने डी.डी.यू. अस्पताल में दोनों पीड़ितों के चिकित्सा विधिक मामला एकत्र किए। जय भगवान (प्र.अभि.स.-6/क) का बयान दर्ज करने के पश्चात, उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत उस पर पुष्टि (प्र.अभि.स.-22/ क) करके 12.50 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई। नगेन्दु की चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-4/ क) ने रात्रि 10.15 बजे मरीज के आने का समय दर्ज किया, जय भगवान को रात्रि 10.10 बजे डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया, जैसा कि चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-4/ख) में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें उसने घटना का जीवंत विवरण दिया कि कैसे हमलावर रात्रि 9.30 बजे स्कूटर जिसका संख्या. डी.एल.-4 एस.सी. 9623 से मौके पर पहुंचे, जहां (शिकायतकर्ता) वह सब्जी खरीदने गया था। उसने आगे बताया कि अ-1 और अ-2 ने उस पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई और उसे सीने पर गोली लगी। वह पहली गोली से बचने में सफल रहा जो शर्मा होटल में काम करने वाले एक नौकर को लगी। चूंकि घटना के तुरंत पश्चात प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी, इसलिए कम अंतराल में झूठी कहानी गढ़ने की संभावना कम थी। प्राथमिकी में अ-1 से अ-3 तक के लोगों को नामजद किया गया था और इसके लिए उनकी उनकी विशिष्ट

भूमिका को उत्तरदायी ठहराया गया है। अपने न्यायालयीन बयान में, अभि.स.-6 (जय भगवान) ने पुलिस को पहली बार दिए गए विवरण को बिना किसी बड़े अंतर के साबित कर दिया और यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनाँक 08.06.1995 को वह सब्जी खरीदने के लिए शर्मा होटल मंगल बाजार गया था। जब वह लगभग रात्रि 9.30 बजे होटल के बाहर उपस्थित था, तो सभी अभियुक्त व्यक्ति दुपहिया स्कूटर स. डी.एल.-4 एस.सी. 9623 पर पहुंचे। अ-1 ने निशाना साधते हुए उस पर गोली चलाई लेकिन वह होटल में एक लड़के को लगी क्योंकि वह नीचे झुक गया था। इसके पश्चात अ-2 द्वारा उस पर चलाई गई गोली छाती के बाईं ओर लगी और उनके मुंह से खून बहने लगा। दोपहिया स्कूटर चलाने वाले अ-3 ने अ-1 और अ-2 को उसे मारने के लिए उकसाया और कहा('*मारो* साले *को*')। घटना के बाद, डी.डी.यू. अस्पताल में उनकी चिकित्सा जांच की गई और उनका बयान (प्र.अभि.स.-6/क) दर्ज किया गया। हमलावरों की उससे पहले जान-पहचान थी। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने विस्तार से बताया कि पहली गोली करीब से चलाई गई थी और दूसरी गोली के समय, अ-2 उनके पास खड़ा था। उन्होंने कई आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, लेकिन स्वेच्छा से यह भी कहा कि उन्हें उन मामलों में बरी कर दिया गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उनका अ-1 के साथ कोई पिछला संबंध नहीं था। जब

गोपाल द्वारा अस्पताल ले जाने के पश्चात जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो वह अर्धचेतन अवस्था में था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह क्षेत्र के दुश्चरित्र (बी.सी.) थे, लेकिन इस बात से इनकार किया कि अज्ञात हमलावरों द्वारा उन्हें चोटें पहुंचाई गई थीं, जिन्हें वह अंधेरे के कारण पहचानने में असमर्थ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लंबी और गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद, पीड़ित के बयान को खारिज करने के लिए कोई ठोस विसंगति प्राप्त नहीं की जा सकी। अपीलार्थीगण को झूठा फंसाने के लिए उन्हें कोई पूर्ववर्ती प्रेरक नहीं दिया गया था। चोटें स्वयं द्वारा लगाई गई या आकस्मिक प्रकृति की नहीं थीं। पीड़ित के पास असली हमलावरों को छोड़ने और खुद को लगी चोटों के लिए निर्दोष को झूठे आरोप में फंसाने का कोई ठोस कारण नहीं था। उसके शरीर पर चोट के निशान अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित करते हैं। अभि.स.-1 (गोपाल) ने उनके बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि वह घायल अवस्था में जय भगवान को अस्पताल ले गए थे। अभि.स.-2 (सतीश चंद) अपने ढाबे के एक कारीगर नागेंदु, को डी.डी.यू. अस्पताल ले गया था। अभि.स.-2 (सतीश चंद) नगेंदू को डी.डी.यू. अस्पताल ले गया था। नेत्र संबंधी और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई भिन्नता और प्रतिकूलता नहीं है। अभि.स.-5 (डॉ. पुनीत छिब्बर) जिन्होंने चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-5/क) के माध्यम से नागेंदु की चिकित्सकीय

जांच की, उनका मानना था कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। डी.डी.यू. अस्पताल के अभि.स.-4 (संत राम) ने डॉ. ट्रेसा द्वारा तैयार चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-4/ख) को साबित कर दिया, जिसके द्वारा जय भगवान की जांच की गई और चोटों की प्रकृति को 'खतरनाक'' माना गया। चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-4/क और प्र.अभि.स.-4/ख) में, चोटों को 'गोली लगने' की चोटें बताया गया।

5. अभि.स.-7 (लेख राज) और अभि.स.-19 (रमेश मेहता) ने घटना के साक्षी होने का दावा किया हैं, हालांकि, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। पीड़ित-जय भगवान के बयान (प्र.अभि.स.-6/क) में उनके नामों का उल्लेख नहीं है। उनमें से किसी ने भी घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। न ही उन्होंने हाथापाई में हस्तक्षेप किया और न ही पीड़ितों को अस्पताल ले गए। उनका आचरण बिल्कुल अप्राकृतिक और अनुचित है और मानव व्यवहार के अनुरूप स्वीकार्य नहीं है। यह घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है। हालांकि, उनके साक्ष्य को अपवर्जित करने से सबसे वास्तविक गवाह अभि.स.-6 (जय भगवान), घायल की तर्कपूर्ण और विश्वसनीय गवाही कमजोर नहीं होगी, जिसे कानून में विशेष दर्जा दिया गया है। *'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश एवं अन्य*;

(2011) 4 एस.सी.सी. 324, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था:

""घायल साक्षी को एक स्टांपित गवाह होने के कारण उचित रूप से महत्व दिया जाना चाहिए इसलिए उसकी उपस्थिति को संदेहात्मक नही किया जा सकता है उनके बयान को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह असंभव है कि उन्होंने किसी और को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को छोड़ दिया हो। एक घायल गवाह के परिसाक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता है क्योंकि उसने घटना के समय और स्थान पर चोटों को बरकरार रखा है और यह उसके परिसाक्ष्य का समर्थन करता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इस प्रकार, एक घायल साक्षी के परिसाक्ष्य को कानून में एक विशेष दर्जा दिया जाता है। साक्षी यह नहीं चाहेगा कि उसके वास्तविक हमलावर को केवल इसलिए दंडित किया जाए ताकि किसी तीसरे व्यक्ति को अपराध के लिए झूठा फंसाया जा सके। इस प्रकार, घायल साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर अस्वीकार करने का आधार न हो।"

6. '*अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य*', (2010) 10 एस.सी.सी. 259, के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

" घटना के दौरान खुद घायल हुए साक्षी के साक्ष्य से जुड़े महत्व के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है। जहां घटना का साक्षी खुद घटना में घायल हुआ है, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि

वह ऐसा साक्षी होता है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित जिम्मेदारी के साथ आता है और किसी को अनुचित तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (हमलावरों) को छोड़ने की संभावना नहीं रखता है। "घायल साक्षी को बदनाम करने के लिए पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है"। घटना के दौरान घायल हुए एक साक्षी के साक्ष्य से जुड़े महत्व के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तृत पैमाने पर चर्चा की गई है। जहां घटना का एक साक्षी स्वमं घटना में घायल हो गया है, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक साक्षी है जो अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (ओं) को छोड़ने की संभावना नहीं है। "एक घायल साक्षी को बदनाम करने के लिए पुख्ता साक्ष्य की आवश्यकता होती है"।

7. घायल नागेन्दु को समन करना और उसकी जांच करने का प्रयास किया गया लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने इरादतन या जानबूझकर उसे साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में पेश नहीं किया। इस आधार पर अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तथ्य यह है कि नागेन्दु जो घायल हो गए थे, उन्हें डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया और अभि.स.-5 (डॉ. पुनीत छिबर) द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई। अभि.स.-2 (सतीश चंद) ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि दिनाँक 08.06.1995 को, वह नागेन्दु को जो की उसके ढाबे में चपाती बनाने का

कार्य करता था घायल अवस्था में डी.डी.यू. अस्पताल ले गया, था। इस स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षी के पास गलत बयान देने का कोई कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले को सिद्ध करने के लिए गवाहों को बढ़ाना आवश्यक नहीं है। न्यायालयों का ध्यान साक्ष्य की गुणवत्ता पर होता है, मात्रा पर नहीं और आपराधिक मुकदमे में, दोषसिद्धि केवल एक गवाह के साक्ष्य के आधार पर हो सकती है, यदि वह विश्वास पैदा करता है। देशी पिस्तौल (प्र.अभि.1) कारतूस (प्र.अभि.2) के साथ और देशी पिस्तौल (प्र.अभि.3) कारतूस (प्र.अभि.4) के साथ क्रमशः अ-3 और अ-2 के प्रकटीकरण कथनों, के अनुसरण में क्रमश: बरामद किए गए थे। केन्द्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्र.अभि.-22 घ) के अनुसार, कारतूस (प्र.अभि.2) को देशी पिस्तौल (प्र.अभि.1) से चलाया गया था। यह पता नहीं चल सका कि कारतूस (प्र.अभि.4) को देशी पिस्तौल (प्र.अभि.3) से चलाया गया था या नहीं, क्योंकि यह काम करने की स्थिति में नहीं था और इसका फायरिंग पिन गायब था। अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है और इससे घायलों की गवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

8. अ-1 से अ-3 पूरी तैयारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और घातक हथियारों से लैस थे। अ-1 और अ-2 ने अभि.स.-6 (जय भगवान) पर फायरिंग कर अपराध में भाग लिया। अ-3 ने अपराध करने को अंजाम देने में मदद की

और अ-1 और अ-2 को स्कूटर जिसकी संख्या. डी.एल.-4 एस.सी. 9623 से चलाकर लाया। जिसे अपराध स्थल पर गोलीबारी की घटना के पश्चात परित्याग दिया गया था। उन्होंने अ-1 और अ-2 को 'मारो साले को' कहकर शिकायतकर्ता को मारने के लिए प्रेरित किया। वारदात को अंजाम देने के पश्चात सभी एक साथ मौके से फरार हो गए। सिद्ध परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अ-1 से अ-3 ने जय भगवान पर गोली चलाकर उन्हें खत्म करने का साझा इरादा किया। भा.दं.स की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मौत का कारण बनने में सक्षम शारीरिक चोट पहुंचाई जानी चाहिए। यह पर्याप्त है यदि उसके निष्पादन में कुछ प्रकट कार्य के साथ एक इरादा मौजूद है। यदि दी गई चोट मृत्यु कारित उद्देश्य या इरादे से की गई है, तो चोट की प्रकृति, सीमा या चरित्र या क्या ऐसी चोट वास्तव में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, भा.दं.सं की धारा 307 के तहत दोषीता का न्यायनिर्णीत करने के लिए अप्रासंगिक कारक हैं। इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, कृत्य के समय अभियुक्त द्वारा व्यक्त की गई मंशा, अपराध करने का मकसद, चोटों की प्रकृति और आकार, चोट पहुंचाने के लिए चुने गए पीड़ित के शरीर के अंग और वार की गंभीरता ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें यह निष्कर्ष निकालने में ध्यान में रखा जा सकता है कि किसी विशेष मामले में अभियुक्त को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। इस मामले में, अ-1 और अ-2 घातक

हथियारों से लैस थे। अ-1 ने जय भगवान पर गोली चलाई थी। हालांकि, वह झुककर भागने में सफल रहा और गोली ढाबे पर काम करने वाले एक मासूम हेल्पर नागेंदु को लगी और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। जाहिर है, अ-1 और अ-2 ने प्र.अभि-6 (जय भगवान) पर हमला उसे मारने के लिए किया था। यह सच है कि पीड़ित कई आपराधिक मामलों में शामिल था और इलाके का दुश्चरित्र (बी.सी.) था, लेकिन इससे अपीलार्थीगण को कानून अपने हाथ में लेने और उसकी जान लेने का अधिकार नहीं मिल गया। आरोप पर आदेश में विस्तृत विभिन्न कारणों से अश्विनी और संजीव सेठी के आरोप मुक्त होने से अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि घटना में उनकी भागीदारी उचित संदेह से परे स्थापित की गई है। भा.दं.स की धारा 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के तहत विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को कायम रखा गया है।

9. अ-1 से अ-3 को पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास में रहने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रत्येक पर 11,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अ-3 के दिनांकित 26.09.2013 के नामीय सूची से पता चलता है कि उसने दो वर्ष, चार महीने और बीस दिन कारावास की सजा काटी है, इसके अलावा उसे सात महीने और सत्ताईस दिन की राहत भी मिली है। सजा का शेष भाग एक वर्ष, ग्यारह महीने और तेरह दिन है। वह पहले से दोषी नहीं है और उसका पिछला इतिहास निर्दोषिता पूर्ण रहा है। उसका समग्र जेल आचरण संतोषजनक था। उसके पास

देशी पिस्तौल नहीं थी और उसने पीड़ितों पर गोली नहीं चलाई। घटना में उसकी भूमिका को देखते हुए, उसे हिरासत में बिताए गए समय के लिए रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि, उसे पंद्रह दिनों के भीतर 11,000/- रुपये का जुर्माना (यदि पहले नहीं चुकाया गया है) भरना होगा, अन्यथा उसे व्यतिक्रम सजा काटनी होगी।

10. अ-1 की दिनांकित 27.09.2013 की नामीय सूची से पता चलता है कि वह ग्यारह महीने और चौदह दिन हिरासत में रहा और इसके अलावा उसे तीन महीने और चौदह दिन की राहत भी मिली। अ-2 की दिनांकित 27.09.2013 की नामीय सूची से पता चलता है कि वह एक साल और अट्ठाईस दिन हिरासत में रहा और इसके अलावा उसे तीन महीने और पंद्रह दिन की छूट भी मिली। उनका पिछला इतिहास साफ है और वे किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं हैं। इन पहलुओं पर विचार करते हुए सजा के आदेश को संशोधित किया जाता है और अ-1 और अ-2 की मूल सजा को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया जाता है। सजा की अन्य शर्तों और नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाता।

11. *अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य*, 2013 (6) एस.सी.सी. 770 में, उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पीड़ित को आपराधिक न्याय प्रणाली में नहीं भूलना चाहिए और दं.प्र.सं. की धारा 357 को प्रत्येक मामले में मुआवजा देने के प्रश्न पर अपने न्यायिक विवेक के लिए न्यायालय पर अनिवार्य कर्तव्य लगाने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अपीलार्थीगण ने न्यायालय को सूचित किया

है कि जय भगवान की मृत्यु हो चुकी है। तदनुसार, अ1, अ-2 और अ-3 को निर्देश दिया जाता है कि वे 15 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष मुआवजे के रूप में क्रमश 40,000/- रु, 40,000/- रु और 20,000/- रु जमा कराएं। विचारण न्यायालय जय भगवान की विधवा को मुआवजा प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी करेगा और उसकी अनुपलब्धता के मामले में, राशि उसके बेटों और बेटियों को समान अनुपात में वितरित की जाएगी।

12. अ-1 और अ-2 को सजा की शेष अवधि को पूरा करने के लिए दिनाँक 02.12.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्री विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत प्रेषित करेगी। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

नवंबर 25, 2013/टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही*

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।